



“उपहार-पत्र”

यह उपहार-पत्र आज दिवांक 26 दिसंबर 2012 को सुनुस
एज लक्ष्मीनारायण कॉलेज (RAGHUKUL RESEARCH & TECHNICAL
INSTITUTE) पता : रघुकुल बॉड्ल टाउन-ए, जगतपुरा रोड, नालवीय
नगर, जयपुर जिल्हे विदेशक श्रीमती उषा कौर आशु वर्गधर 64 वर्ष
की हैं श्री वीरेन्द्र चिंह, जाति-राजपूत, विवासी- रघुकुल बॉड्ल
टाउन-ए, जगतपुरा रोड, नालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान प्राचल के
पत्रकारी हैं, जिसे हस्त उपहार-पत्र में “प्रथमपक्ष” शब्द से सम्बन्धित
किया गया है, जिसकी संगत शर्तों से उपहारकर्ता स्वयं एवं उपहारकर्ता
के अव्याधिकारी इत्यादि पादन्वय समझे जायेंगे कि
अन्त में

“बहक”

रघुकुल एजेंजी एज्यूकेशन (RAGHUKUL COLLEGE OF
EDUCATION) पता : आठ बज्यर 4, पारस नगर, रघुकुल बॉड्ल
टाउन-ए, नालवीय नगर, जयपुर। जिल्हे विदेशक श्री नालवीय रिह, आशु
वर्गधर 64 वर्ष पुत्र श्री वीरेन्द्र चिंह, विवासी- स्वास्थ वर्गधर 4, पारस
नगर, रघुकुल बॉड्ल टाउन-ए, नालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान प्राचल
के उपहारकर्ता हैं, जिसे हस्त उपहार-पत्र में “द्वितीयपक्ष” शब्द से
सम्बन्धित विवासी नामा के अन्तर्भूमि, यह उपहार पत्र विष्यादेता विवासी नामा

रघुकुल

गुरु नाना सिंह

दिनांक 26/12/2012

पृष्ठा 12
मुद्रा 450

जो कि अचल सम्पत्ति याम पीपल्या बाई का बाढ़ पटवार हल्का बल्लपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे आता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैवटेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैवटेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैवटेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैवटेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैवटेयर सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है।

यह कि याम पीपल्या बाई का बाढ़, पटवार हल्का बल्लपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे आता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैवटेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैवटेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैवटेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैवटेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैवटेयर का आतेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे श्री कैलाश चन्द अश्वाल के नाम से दर्ज थी। जिसके पश्चात श्री कैलाश चन्द अश्वाल ने याम पीपल्या बाई का बाढ़, पटवार हल्का बल्लपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे आता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैवटेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैवटेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैवटेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैवटेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैवटेयर का आतेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे श्री कैलाश चन्द अश्वाल ने खसरा नम्बर 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैवटेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैवटेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैवटेयर सम्पूर्ण को जारीये विक्रयपत्र लिया हुआ दिनांक 20/10/2010 द्वारा रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान पता : रघुकुल मॉडल ठाउजन-ए, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर जारीये निदेशक श्रीमती उषा लैंबर धर्मपत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह, जाति-राजपूत, नियासी- रघुकुल मॉडल ठाउजन-ए, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर को बेचन वर दिया।

निश्चिन्ता विद्यालय and Technical Institute

निश्चिन्ता
विद्यालय
निश्चिन्ता

निश्चिन्ता
विद्यालय

निश्चिन्ता
विद्यालय

निश्चिन्ता

इस प्रकार उक्त सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का बाढ़, पटवार हल्का लग्नपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर मे आता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैवटेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैवटेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैवटेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैवटेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैवटेयर मे से आता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैवटेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैवटेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैवटेयर सम्पूर्ण पर प्रथमपक्ष विना किसी अन्य व्यक्ति के साथ के एकमात्र मालिक, खामी एवं अधिकारी के रूप मे काविल हो गई एवं वर्तमान मे उक्त सम्पत्ति को हर प्रकार से उपयोग एवं उपयोग के लिए, हरानाश्वरित करने, विक्रय करने के सम्पूर्ण अवधारणा हुक एवं अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

यह कि उक्त सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार, साझेदार नहीं हैं तथा उक्त सम्पत्ति को प्रथमपक्ष के द्वारा आज दिव तक किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंकिंग, दित्तिय संस्थान व जनसाधारण आदि के हक मे किसी भी प्रकार इकरारनामा, विक्रय-पत्र, दाव, वसीयत, वक्शीश, गिरवी, ऋण, कुर्की, डिक्री, वेनामा, त्याग-पत्र इत्यादि द्वारा व्यक्ताक्षरित नहीं किया गया है। उक्त सम्पत्ति वर्तमान जे समरूप प्रकार के रासगारी, अर्द्धसरकारी, बैंकिंग, जन-साधारण व अन्य वित्तिय संस्थान आदि के ऋण-भारो एवं हर प्रकार के राजकीय, अदालती व जल साधारण आदि के हाण्डो-टन्टो से पूर्णतया: मुक्त एवं पाक है। उक्त सम्पत्ति को वर्तमानमे हर प्रकार से उपयोग मे लेने एवं विक्रय इत्यादि करने के सम्पूर्ण मालिकाना हुक एवं अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

मापदंड/प्र

उपर्युक्त
पात्र

उपर्युक्त
प्रतीक्षित
पात्र



दृष्टि प्रथम पक्ष ने आपनी उक्त वर्णित सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का बाठ, पटवार हल्ला बल्लपुरा, भू-अभिलेख लिरीकाक शेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकरू जिला जायपुर में खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी असरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैवेटेयर गै.गु. चाह, रासरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैवेटेयर जारानी-3, रासरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैवेटेयर बारानी-3 व रासरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैवेटेयर बारानी-3 कुल अखण्ड नम्बर 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी असरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैवेटेयर गै.गु. चाह एवं रासरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैवेटेयर बारानी-3, कुल असरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैवेटेयर सम्पूर्ण में से रासरा नम्बर 68 में स्थित 4000 वर्गमीटर भूमि सम्पूर्ण को अपने लगाए हक खातेदारी स्वत्वाधिकारो भय पानी-पूला, मेड-डौल, पेड़-पौधों व हक काशन सहित के विना रखे इसके किसी भी अंश व भाग के प्रत्येक पर्याय एवं परस्तु सुरक्षित रखे हुये, अपने समस्त हक-हकूको व स्वाधिकारो, सुखाधिकारो, तथा तामाज जमाशुदा साशियो व लाभांशो के, प्रत्येक वस्तु सहित दिजा किसी प्रतिफल राशि के उपहारगृहिता द्वितीयपक्ष।

रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन (RAGHUKUL COLLEGE OF EDUCATION)

पता : प्लाट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल डॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर, जायपुर जाइये निदेशक श्री मानवेन्द्र सिंह आयु लगभग 38 वर्ष पुरु श्री वीरेन्द्र रिंह, विवासी- प्लाट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल डॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर, जायपुर, राजस्थान प्राप्त के हक्के जो उपहार इकाय प्राप्त कर दिया जिसको द्वितीयपक्ष ने रवीकार चारों हुयों जौके पर दार्ताधिक कराया प्राप्त कर लिया है एवं दोजोपक्ष उक्त उपहार पर को विज्ञुओं पर साक्षात्कृत करते है :-

यह कि उपहार पन्न अवूरूधी मे वर्णित सम्पत्ति को उपहारकर्ता वे लघ्या से अपनी खास्य इक्विट व स्थिर बुद्धि की अवस्था मे दिया वशं पते की दशा मे विना किसी जोर-जबरन व वहकावट की दशा मे अपनी इच्छा व प्रसन्नता से उपहारगृहिता को उपहार करती है व कज्जा युपुर्द करती है जिसे उपहारगृहिता ने रवीकार कर लिया

जानवेन्द्र सिंह

पर अधिकारी
पर अधिकारी
पर अधिकारी

- यह कि उपहारगृहिता आज के बाद उक्त सम्पत्ति का पूर्ण एकमात्र मालिक एवं राजमी हो गया व उक्त सम्पत्ति पर उपहारगृहिता का कब्जा व अधिकार रहेगा जिसको उपहारगृहिता अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगा।
3. यह कि उपहारगृहिता उक्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण, दान, वर्षीश, दाव आदि करने और हर प्रकार से उपयोग व उपभोग किसी अन्य को कर सकेगा।
4. यह कि आज के बाद उक्त उपहार की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपहारकर्ता वा उपहारकर्ता के अन्य वारिसाज, परिवारजन, उत्तरार्थकारी, प्रतिनिधि, दायभागी, एजेन्ट, स्थानापन्न इत्यादि का इसमें कोई हक, हिस्सा एवं अधिकार नहीं होगा।
5. यह कि उपहारगृहिता ने उक्त सम्पत्ति को उपहार स्वरूप स्वीकार कर लिया है।
6. यह कि उक्त सम्पत्ति पर आज से द्वितीयपक्ष पूर्णरूप से एकमात्र राजीवक व राजमी के रूप में काविज रहते हुये हर प्रकार का उपयोग व उपयोग करे, दाव, वर्षीश करे और हर प्रकार से उपयोग व उपयोग करते हुये किसी भी व्यक्ति को किसी भी श्रेमत पर धियोती कर राशि प्राप्त कर इकरारनामा/अन्य दस्तावेज तहसील व तकमील करावे, रजिस्ट्री करावे, कब्जा देवे और प्रत्येक प्रकार से लाभान्वित होये।
7. यह कि द्वितीयपक्ष इस उपहारपक्ष के तहत समस्त सरकारी, गैरसरकारी विभागों, जाम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील कार्यालय, जाधपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि में प्रथमपक्ष के रूपाल पर द्वितीयपक्ष अपना जाम अंकित/परिवर्तित करावे एवं पानी-विजाली पन्नोत्तराल अपने जाम से लेवे/हस्तान्तरित करावे तो प्रथमपक्ष को इसमें कोई ऐतराज/आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

Rajya Pramukh Sir Patel's Institute

30/10/2019

Chhatrapatī

3
उप पंजीयक
चाक्षु

भाजु चौक / ग्राम

पंजीयक
चाक

8. यह कि हितीयपक्ष स्वयं इस उपहारपत्र के आधार पर अपने हक्कों का जाग्रत्तरण दर्ज करावे आज से द्वितीयपक्ष को उपहार की गई कृषि भूमि के समरत भालिकाना हक अधिकार प्राप्त हो गए हैं तथा द्वितीयपक्ष को यह अधिकार है कि वह उपहार की गई कृषि भूमि का अच्छा प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावे।

"उपहार की गई सम्पत्ति का विवरण"

यह कि उपहार की गई सम्पत्ति याम पीपल्या बाई का घाड़, पटवार हल्का पहलूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकरू, जिला असार में खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खासरा 6.7 एकड़ा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 एकड़ा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खासरा नम्बर 69 एकड़ा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 खासरा नम्बर 70 एकड़ा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खासरा नम्बर 6.79 हैक्टेयर में से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी असरा बम्बर 67 एकड़ा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 एकड़ा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2.66 एकड़ा 3.66 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से खसरा नम्बर 68 में स्थित 4.00 एकड़ा भूमि सम्पूर्ण है।

इन कि इस उपहार-पत्र की धायाप्रति भविष्य में अस्यष्ट तथा अपश्चिम होने पर राज्यविधित पंजीयन एवं मुद्रांक दिभाग की कोई विविलासी नहीं होगी।

मानवान्
प्राप्ति

मानवान्

प्राप्ति

उप पंजीयक
शास्त्र

{7}

यह कि उक्त घरित उपहार की गई भूमि संपूर्ण गांव की मुख्य आयादी से करीबन 11/2 कि.मी. व लिंक डामर रोड से करीबन 1, कि.मी. व चाकसू से 16 कि.मी. दूर स्थित है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण आदि किया हुआ नहीं है।

अतएव यह उपहार-पत्र स्टाम्प कीमती 5,000/- रुपये के स्टाम्प एज व उक्त साधा पत्र पर इस प्रकार फुल किता सात पर द्वितीयपक्ष के हक में तहरीर व तकमाल कर दिया एव समरत मजमून को पढ़सुन व भली प्रकार सोच रामझ संहज स्थिकार करते हुए लघुल निम्न दो गवाहान् के समझ दोनों पक्षों ने अपनी पूर्ण हंसी - हवास में अपनी इच्छा दो प्रधानतासे विना नशे पते की दशा में अपने - अपने उत्ताक्षर / अंगुठात के निशानात कर दियें।
उत्तर रह और पक्त जरुरत काम आवे। इति लेख्य दिनांक 26 दिसम्बर 2012 ईस्वी।

Satyendra Singh Technical Institute
सत्येन्द्र सिंह टेक्निकल इन्स्टीटियूट

130 परामर्शदाता - Chairperson

प्राप्तवेद्यकर्ता
हरताक्षर द्वितीयपक्ष

हरताक्षर - monika

जाति - श्री मनोज कुलकर्णी उमेर 20 वर्ष पुत्र श्री Rajendra Singh जाति - जड़प
निवासी - पांडा कुलकर्णी का बड़ा जाति - जड़प
पांडा - Jhunjhunu.

प्राप्तवेद्यकर्ता -

साडी - 2 श्री श्री अमित उमेर 38 वर्ष पुत्र श्री अमित जाति - जड़प
निवासी - बड़ा जाति - जड़प

उक्त वंडियाह
चाकसू

३३५ - ३) - ११८८८